न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/196/2018

उनवान

1. बंशीनाथ पिता गोपीनाथ जाति नाथ बावजी निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/विपक्षी

बनाम

1. कैलाशनाथ पिता बंशीनाथ जाति नाथ बावजी, निवासी शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
3. उप पंजीयक , जहाजपुर , जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के
प्रकरण संख्या 47/2018 आदेश दिनांक 9.5.2018

अधिवक्तागण :–

1.श्री सुनील पारीक , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री मनीष कांटिया ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 2.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शक्करगढ पटवार हल्का शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में आराजी खसरा संख्या 55 रकबा 2.03 बीघा, आराजी नम्बर 70 रकबा 1.18 बीघा, आराजी नम्बर 71 रकबा 1.06

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा, आराजी नम्बर 73 रकबा 1.15 बीघा कुल किता 4 रकबा 7.02 बीघा स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज है। ग्राम शक्करगढ में आराजी संख्या 61/1 रकबा 0.11 बीघा स्थित है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के व 1/2 हिस्सा मूल दावे में प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के खाते में दर्ज है । मूल दावे में प्रतिवादी संख्या 2 से 7 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध किसी तरह की दाद वादी/प्रार्थी नही चाहता है।

2. प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक होकर बंशीनाथ को उसके पिता गोपीनाथ पिता देवनाथ से विरासत से प्राप्त हुई है। बंशीनाथ के कोई औलाद नहीं होने से बंशीनाथ व उसकी पत्नी रामकन्या ने हीरानाथ पिता उदानाथ के लडके प्रार्थी कैलाशनाथ को हीर व व हीरा की पत्नि एजन देवी ने 5 साल की उम्र में ही अप्रार्थी संख्या 1 को गोद में रखकर गोदपुत्र के रूप में संभला दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 बंशीनाथ व बंशीनाथ की औरत रामकन्या ने कैलाशनाथ को जाति समाज की रीति रिवाज अनुसार गोद पुत्र स्वीकार कर लिया था। गोदनामा पंजीकृत होकर बंशीनाथ व बंशीनाथ की पत्नि रामकन्या व हीरानाथ व हीरानाथ की पत्नि एजनदेवी ने गोदनामा दिनांक 4.3.2002 को पंजीकृत करवा दिया था तभी से कैलाशनाथ के समस्त अधिकार हीरानाथ व एजन देवी से हटकर गोद पिता बंशीनाथ में निहित हो गया तथा प्रार्थी बंशीनाथ का गोद पुत्र के रूप में जाना–पहचाना गया है तथा प्रार्थी ने ही अप्रार्थी संख्या 1 की अपने पिता के भॉति सेवाचाकरी कर हर सेवा प्रार्थी ही करता अ रहा है तथा प्रार्थी ने अपने समस्त कागजात–राशनकार्ड, फोटो पहचान , आधार कार्ड आदि में अपने पिता का नाम बंशीनथ लिखा रखा है परन्तु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बंशीनाथ की उम्र 80 वर्ष की होकर अब सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है जिसका नाजायज फायदा उठाकर भूमाफिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गुमराह करके कुछ जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाने से अप्रार्थी संख्या 1 को बरगलाकर खरीद करना चाहते हैं इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से दिनांक 29.1.2018 को ही खुलकर बातचीत नहीं कर रहा है । जबकि प्रार्थी को 5 वर्ष की उम्र से ही अप्रार्थी संख्या 1 बंशीनाथ ने पाला पोसा, शादी कराने में व प्रार्थी ने भी अपने पिता की भॉति अप्रार्थी संख्या 1 बंशीनाथ की सेवा चाकरी की इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो पैतृक होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गोपीनाथ पिता देवनाथ से विरासत से प्राप्त की है उसमें प्रार्थी को गोदपुत्र रखा गया तभी से अपने दादा की सम्पति में पूर्ण हक व अधिकार नियत हो गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में बंशीनाथ के साथ प्रार्थी का नाम भी सहखातेदारी में घोषणात्मक डिक्री से दर्ज कया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। तथा बाद सहखातेदार काश्तकार घोषित होने के बाद गुणावगुण बंटवाडा किया जाना व मूल वाद पत्र का निस्तारण न हो तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अवश्यक एवं न्यायसंगत है। अगर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया गया तो प्रार्थी न तो बंशीनाथ की सम्पदा में व न ही हीरा नाथ की सम्पदा में अपना हक व हिस्सा ले सकता है। इसलिए सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व गुणावगुण बंटवाडा किया जाना व अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी प्रार्थी है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 5 (1) राजस्व /97/18 दिनांक 8.1.2007 को एक परिपत्र जारी कर समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान, समस्त जिला कलक्टर,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्थान को जारी किया गया है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिए पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ पुत्र/पुत्री भी सहकृषक होते हैं चाहे राजस्व रेकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिए पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते हैं। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र 80 वर्ष हो चुकी है तथा सोचने समझने की शक्ति कम हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 को बरगलाकर उक्त कृषि भूमि का कुछ भू भाग नेशनल हाईवे में आ जाने से भू माफिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को बरगला कर उक्त कृषि भूमि को खरीदने पर तुले हुए हैं। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, दान, करूंगा। यदि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरित कर देता है तो निश्चित ही प्रार्थी अपने दादा की सम्पति से महरूम हो जायेगा एवं वाद विवाद बढ जायेगें। जिसकी तुलना मुद्रा से नहीं आंकी जा सकेगी। अतः जब तक मूल वाद का निस्तारण नही हो तब तक अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को बेचान, खुर्द, बुर्द, विक्रय, दान आदि हस्तान्तरण नहीं करें एवं न करावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन मामले में दिनांक 11.4.2018 की तारीख पेशी नियत होकर सुनवाई हेतु वास्ते दिनांक 17.4.2018 को कोई ऑर्डरशीट नहीं होकर सीधे ही दिनांक 9.5.2018 को कैम्प में रखी दी गई व लोक अदालत में रखने बाबत अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं दी व न ही सम्मन नोटिस प्राप्त हुआ व अपीलार्थी उपस्थित नहीं होते हुए भी उसे उपस्थित होना बताकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर विधिक त्रुटि की गई है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश राजस्व केम्प में पारित किया गया है जबकि राजस्व केम्प में दोनों पक्षकारों की सहमति न हो तो राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को नियमित सुनवाई कर गुणागुवण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी ने कोई सहमति नहीं दी न ही उसके द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर ही किये गये हैं। फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन हे कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने से पूर्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का समुचित विवेचन करना अनिवार्य होता है। परन्तु अपीलाधीन आदेश आनन–फानन में पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी का गोदपुत्र नहीं है, बल्कि उसके द्वारा षड्यंत्र रचकर अपीलार्थी की सेवा सुश्रुषा करने का विश्वास दिलाकर 1 बीघा भूमि वसीयत करवाने के बहाने ले जाकर धोखे से गोदनामें का निष्पादन कराया है। उक्त गोदनामे को निरस्त करवाने के लिए अपीलार्थी ने सिविल न्यायालय, जहाजपुर में वाद पत्र दायर कर रखा है। जो जैर कार्यवाही है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की सहमति होने पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी को सुनवाई का समय दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी के कोई औलाद नहीं होने से उसके द्वारा व उसकी पत्नी रामकन्या द्वारा हीरा नाथ पिता उदा नाथ के लडके यानि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी को 5 साल की उम्र में ही गोद मे रखकर गोदपुत्र के रूप में संभला दिया था। तथा अपीलार्थी व उसकी पत्नि द्वारा प्रत्यर्थी को जाति समाज की रिति रिवाज के अनुसार गोद पुत्र स्वीकार कर लिया था।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि बंशीनाथ/अपीलार्थी व उसकी पत्नि रामकन्या द्वारा व हीरा नाथ की पत्नि एजन देवी ने गोदनामा दिनांक 4.3.2002 को पंजीकृत करवा दिया तभी से प्रत्यर्थी संख्या 1 के समस्त अधिकार हीरानाथ व एजन देवी से हटकर गोद पिता बंशीनाथ में निहित हो गये । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने समस्त कागजात, राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड में अपने पिता का नाम बंशीनाथ लिखवा रखा है। अपीलार्थी भू माफियाओं के बहकावे में आकर वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यदि वादग्रस्त आराजी विक्रय कर दी जाती है तो निश्चित रूप से प्रत्यर्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वाद–विवाद बढेंगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रत्यर्थी/प्रार्थी के हक में है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में आर बी जे (12) 2005 मेहर चन्द बनाम ओम प्रकाश, आर आर टी 2003 (1) शंकर लाल बनाम कैलाश प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प में पारित किया गया है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से गोदनामा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया है। जिसे निरस्त कराने के लिए दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

12. अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी एवं उसकी पत्नि रामकन्या द्वारा दिनांक 4.3.2002 को प्रत्यर्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवाया गया है। जिसे निरस्त करवाने के लिए सिविल न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर रखा है जो अभी विचाराधीन है। चूंकि गोदनामा आज दिनांक तक सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण होना शेष है। ऐसी स्थिति में यदि प्रत्यर्थी/प्रार्थी के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द होने पर वाद–वादोत्तर बढेंगें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चस्पा होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय मूल वाद के निस्तारण तक प्रत्यर्थी/प्रार्थी के पक्ष में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वह न्यायहित में होकर विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.5.2018 को यथावत रखा जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 2.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

2/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा